निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–8/22
दायरा दिनांक :– 11. 2. 22
निर्णय दिनांक :– 05.08.2022

उनवान

पन्नीबाई पुत्री श्री गणपतलाल पत्नी छोटूलाल जाति राठी निवारी ग्राम दीवाली तहसील अटरू जिला बारा राज0 ––––––प्रार्थीया

बनाम

1. ममताबाई पत्नी रधुवीर जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा
2. कन्हैलाल पुत्र जगन्नाथ जाति राठी निवासी लक्ष्मीपुरा
3. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारा ––––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटी एक्ट

निर्णय दिनांक :–05.08.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री योगेन्द्र शर्मा एड0–वादी
2. श्री योगेश गुर्जर एड0–प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम आंकेडा तहसील बारा की आराजी जमाबंदी सम्मत 2070–73 खातासंख्या नया 83 पुराना 84 की आराजी खसरा नं0 81 रकबा 0.69 हेक्टे0 स्थित है जिसमें से खातेदार मृतक केशरबाई के हिस्से को विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त आराजियात प्रार्थीया की पुश्तेनी आराजियात है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा निहित है। उपरोक्त आराजियात जमाबदी सम्मत 2038–57 में खसरा नं0 81 रकबा 0.69 हेक्टे0 पूर्व खातेदार जगन्नाथ वल्द बिरधीलाल व केशर बेवा गणपतलाल के नाम दर्ज थी जिसमें से जगन्नाथ वल्द बिरधीलाल की आराजी पर मृतक धन्नीबाई के पुत्र कन्हैयालाल द्वारा अपना नाम 1/2 हिस्से में दर्ज करवाया तथा उपरोक्त आराजियात में हिस्सा 1/2 को ममताबाई पत्नी रधुवीर धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा को बेचान कर दिया इस कारण मृतक धन्नीबाई का 1/2 हिस्सा उसके पुत्र कन्हैलाल द्वारा बेचान करने के कारण उसका अधिकार उपरोक्त आराजियात में समाप्त हो गया है मृतक मृतक केसरबाई का देहान्त लगभग 38 वर्ष पूर्व हो चुका है ... दिनांक तक केशरबाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

इंतकाल नहीं खुला है इस कारण प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में मृतक केशरबाई के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी एवं नालिशी है। उपरोक्त आराजियात पर प्रार्थीया का ही कब्जाकाश्त है तथा अनपढ महिला होने के कारण उसके द्वारा मृतक केशरबाई का फोती इतंकाल नहीं खुलवाया जा सका इस कारण वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मे मृतक केशरबाई का नाम बतोर खातेदार दर्ज चला आ रहा है इस कारण प्रार्थीया उपरोक्त आराजियात में मृतक केशरबाई के हिस्से पर प्रार्थीया अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी एवं नालिशी है। कन्हैयालाल के पिता को प्रार्थीया के पिता के कोई सुलभी पुत्र नहीं होने के कारण घर जवाई के रूप में अपने साथ रखा था तथा गणपतलाल जी की मृत्यु के पश्चात 1/2 आराजी पर मृतक जगन्नाथ के स्थान पर कन्हैलाल का नाम दर्ज हो गया जिसे कन्हैयालाल द्वारा ममताबाई पत्नी रघुवीर को अपने हिस्से आई आराजियात का बेचान कर दिया तथा शेष 1/2 आराजी पर प्राथीया का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में से मृतक खातेदार केशरबाई का नाम विलोपित करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पर सकने की अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये समन तलब किया गया अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम आंकेडा सम्वत 2070–73 खाता सं. 83, नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–24, नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2038–57 खाता सं. 138, पेश की गई

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आंकेडा में स्थित है। वकील प्रार्थी का कथन है कि खसरा नं0 81 रकबा 0.69 है0 खातेदार मृतक केशरबाई के हिस्से की आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा भी निहित है उक्त विवादित आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात है उक्त आराजी के पूर्व खातेदार जगन्नाथ पुत्र बिरधीलाल व केशर बेवा गणपतलाल के नाम थी। धन्नीबाई के पुत्र कन्हैयालाल द्वारा अपना 1/2 हिस्सा बेचान कर दिया था। जिससे कन्हैयालाल का उक्त आराजी से अधिकार समाप्त हो गया है। केशरबाई का देहान्त हो चुका है उसका फोती नामान्तरण नहीं खुला है मृतक केशरबाई के स्थान पर प्रार्थीया अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थीगण को ता फैसला पाबन्द किया जावे कि वह काश्त में किसी प्रकार की दखल अदांजी नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
वाराँ

Scanned with CamScanner

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि मृतक गणपतलाल व केशरबाई की सतांन मृतक माधोलाल पुत्र था, माधोलाल की दो संतान प्रार्थीया पन्नीबाई व मृतिका धन्नीबाई है। धन्नीबाई का पुत्र कन्हैयालाल है माधोलाल के कोई ओर पुत्र नहीं होने के कारण धन्नीबाई के पति जगन्नाथ को घर जवाई रखा था। माधोलाल व उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद हमारी समस्त चल व अचल सम्पति का मालिक व स्वामी जगन्नाथ होगें। जगन्नाथ व धन्नीबाई की सेवा अप्रार्थी कम 2 द्वारा की जा रही है तथा माधोलाल की सेवा भी अप्रार्थीकम 2 के पिता जगन्नाथ व धन्नीबाई द्वारा की गई है पन्नीबाई के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण भूमि को हडपने कि नियत से मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड खाता सं0 83 के अनुसार केशरबाई पत्नी स्व0 गणपतलाल हिस्सा 1/2 एवं ममताबाई पत्नी रघुवीर हिस्सा 1/2 जाति धाकड के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम आकेडा सम्वत 2015–24 खाता सं. 77 मे जगन्नाथ पुत्र बिरधीलाल केशर बेवा गणपतलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जिसमे दोनों पुत्रियों का समान अधिकार है। धन्नीबाई के हिस्से की आराजी उनके पुत्र कन्हैयालाल द्वारा अप्रार्थी कम 1 को बैचान कर देने से मात्र ममता व केशर का नाम 1/2, 1/2 खाते मे दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षकारान को ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी ख0न. 81 रकबा 0.69 है भूमि पर मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखें। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करे। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:42:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner